उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 4 | 16-28 फरवरी 2022 | ₹ 20/-

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

- कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या
- अफगानिस्तान में सेना को मजबूत बनाने का फैसला
- इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम न्यायाधीश
- इमामों को हिजाब के खिलाफ बोलने का निर्देश

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार 04
कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से तनाव 06
नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों से वसूला जुर्माना वापस 07
कोलकाता में एक मुस्लिम छात्र की संदिग्ध मौत 09
गैर भाजपा सरकारों का संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास 11

विश्व

अफगानिस्तान में सेना को मजबूत बनाने का फैसला 13
पाकिस्तान में पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर रोक 14
ब्रिटेन के राजकुमार नए विवाद में 15
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अश्वेत न्यायाधीश 16
अफगानिस्तान में 8 पोलियो कार्यकर्ताओं की हत्या 16

पश्चिम एशिया

अरब देशों के शासक परिवारों के खरबों डॉलर स्विस बैंक में 17
इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम न्यायाधीश 18
संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चीन से युद्धपोत खरीदने का फैसला 18
ईरान और कतर के बीच समझौता 19
तुर्की द्वारा अफ्रीकी देशों से संबंध स्थापित करने पर जोर 19
अल्जीरिया के मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा 20

अन्य

इमामों को हिजाब के खिलाफ बोलने का निर्देश 21
दिल्ली के इमामों का बकाया वेतन 21
महिलाओं के लिए मदीना सबसे सुरक्षित नगर 22
वेल्लूर में एक मस्जिद के निर्माण का विरोध 22
प्राचीन मूर्तियों का तस्कर गिरफ्तार 22

सारांश

महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उनके तार कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। नवाब मलिक ने दाऊद की एक बेनामी संपत्ति उसकी बहन से खरीदी थी। केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां इस संदर्भ में विस्तृत जांच कर रही हैं। नवाब मलिक काफी समय से केंद्र सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को अपना निशाना बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान से वसूली करने के लिए एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

कर्नाटक में हिजाब का विवाद अभी तक चल रहा है। इस विवाद में विवादित मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है। चूंकि अतिवादी मुस्लिम संगठनों का मुस्लिम समाज में प्रभाव कम हो रहा है इसलिए वे मुसलमानों को किसी न किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में कर्नाटक में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता हर्ष की मुस्लिम गुंडों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। कहा जाता है कि बजरंग दल के इस कार्यकर्ता ने इस्लाम और पैगम्बर से संबंधित कथित आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। जब इसका विरोध हुआ तो उसने इसे वापस ले लिया। मगर इसके बावजूद वह अतिवादियों से अपनी जान न बचा सका। खास बात यह है कि जब इन अतिवादियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो उसका विरोध देश भर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में किया गया। जगह-जगह पर प्रदर्शन हुए और धरने दिए गए। सवाल यह है कि इन हत्यारों को कानून के चंगुल से बचाने के इन प्रयासों को कैसे जायज ठहराया जा सकता है?

हाल ही में ममता बनर्जी की मुसलमानों में छवि को तब गहरा झटका लगा जब पश्चिम बंगाल पुलिस के कुछ लोगों ने वामदलों से संबंधित एक छात्र नेता अनीश खान को तीसरी मंजिल से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। जब इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया तो मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करके कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। मारे गए छात्र के अभिभावकां की मांग है कि इस घटना की जांच सीबीआई से करवाई जाए। हालांकि इसका राज्य सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है।

मध्य पूर्व की अरब राजनीति ने हाल ही में एक गंभीर मोड़ लिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार चीन से सैनिक विमान खरीदने का समझौता किया है। अभी तक अरब जगत के सभी देश अपने अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर ही निर्भर थे। चीन के इस नए कदम से अमेरिका में चिंता होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए संबंधों का लाभ उठाकर चीन अब मुस्लिम जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी सेना को मजबूत बनाने की घोषणा की है। इस लक्ष्य से एक लाख से अधिक नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान की पुरानी सेना को आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश करने के लिए जो अरबों डॉलर खर्च किए थे उन्हें व अफगानिस्तान से भागते हुए वहीं छोड़ आए थे। इन अमेरिकी हथियारों को तालिबान विश्व बाजार में विभिन्न देशों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

इंकलाब (24 फरवरी) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दस्ते के साथ महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के घर पर सुबह साढ़े पांच बजे पहुंच गए और उनसे दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से भूमि खरीदने के बारे में डेढ़ घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें अपने साथ अपने कार्यालय ले गए। दोपहर में प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने उनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने सीआरपीएफ की टुकड़ियां अपनी सुरक्षा के लिए बुला ली। जब नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो नवाब मलिक ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए कहा कि हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बाद में उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जिस पर न्यायालय ने उन्हं तीन मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रखने का निर्देश दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि क्योंकि गत चार महीनों से नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पोल खोल रहे थे इसलिए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो दिल्ली में बैठे लोग उसे तुरंत दाऊद का आदमी करार दे देते हैं। हम इस धांधली के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा।

हमारा समाज (22 फरवरी) के अनुसार मलिक को 2005 के बम धमाकों से जुड़े हुए एक व्यक्ति से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद से जुड हुए मामलों में अनेक स्थानों पर

छापे मारे थे। इसके बाद दाऊद के भाई इकबाल कासकर को ठाने जेल से हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी। इस संबंध में दाऊद के भतीजे सलीम कुरैशी से भी पूछताछ की गई थी, जिसका संबंध छोटा शकील गिरोह से बताया जाता है। गौरतलब है कि नवाब मलिक ने फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक अन्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि नवाब मलिक को बदले की भावना के तहत केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (25 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाडी के नेताओं और मंत्रियों ने महाराष्ट्र विधान सभा के सामने महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार का तख्ता पलटने के लिए कर रही है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 फरवरी) में ए. रहमान का एक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 1999 और 2003 में नवाब मलिक की कंपनी 'सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट्स' ने मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में मुनीरा पलंबर नामक एक महिला से तीन एकड़ भूमि खरीदी थो जिसे दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर ने बेचा था। अब सरकार बीस वर्षों के बाद इस मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) को फर्जी करार दे रही है। जबकि मुनीरा और हसीना दोनों की ही मौत हो चुकी है।

मनी लॉन्ड्रिंग का हाल का मुकदमा 14 फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और उसके गिरोह के कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में पहला मुकदमा 2017 में ठाणे पुलिस ने इकबाल कासकर, इसरार अहमद और मुमताज शेख के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में दर्ज किया था। खास बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया वे 2017 से ही ठाणे जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के दौरान 9 स्थानों पर छापे मारे थे जिनमें नागपाडा में स्थित हसीना पारकर का मकान भी शामिल है और इस संदर्भ में दाऊद के भांजे अलीशाह पारकर से भी पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ के आधार पर नवाब मलिक को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है। सीधे शब्दों में नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे का विवरण यह है कि 20 वर्ष पहले आरोपी ने हसीना पारकर से 55 लाख रुपये में संपत्ति खरीदी जिस पर हसीना ने एक फर्जी मुख्तारनामे के आधार पर उसकी वास्तविक मालकिन से कब्जा किया था। खास बात यह है कि वास्तविक मालकिन ने इस संदर्भ में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की सगी बहन थी इसलिए यह मान लिया गया कि नवाब मलिक ने आतंकवाद को फैलाने के लिए उसे आर्थिक साधन उपलब्ध करवाए। यह मामला 1999 का है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून पीएमएलए 2005 में पारित हुआ था। किसी भी कानून को तभी लागू किया जा सकता है जिस तिथि से वह पारित हुआ हो।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 फरवरी) में प्रकाशित एक संपादकीय में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की भावना की संज्ञा दी गई है।

सियासत (25 फरवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि यह मुकदमा महाराष्ट्र सरकार का तख्ता पलटने के लिए केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत दर्ज करवाया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवाब मलिक से इस्तीफा मांगने से इंकार कर दिया है। समाचारपत्र का आरोप है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को बदनाम

करने की संघ परिवार की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय मोदी सरकार के दबाव पर काम कर रही है। संघ परिवार का यह ख्याल है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ तीनों दलों में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे और सरकार के अस्थिर होते ही भाजपा वहां अपना खेल कर लेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी की सूचना के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार को टेलीफोन करके उनसे एकता व्यक्त की है।

रोजनामा सहारा (24 फरवरी) ने अपने संपादकीय में नवाब मलिक की गिरफ्तारी की निंदा की है और कहा है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी अप्रत्याशित नहीं है। पिछले वर्ष जब आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था तो उसी समय यह साफ हो गया था कि केंद्र सरकार उन्हें किसी मुकदमे में फंसाने की तैयारी कर रही है। इस धारणा की उस समय पुष्टि हुई जब उनके दामाद समीर खान को मादक पदार्थ के तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

समाचारपत्र ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति गत 25 वर्षों से राजनीति में है और एक राज्य का मंत्री है उसे बिना किसी सूचना के उसके घर से उठाना एक निंदनीय कदम है। ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जब केंद्रीय एजेंसियों ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कठपुतलियों की तरह काम किया। देश की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि यह राजनीतिक गिरफ्तारी है और यह नवाब मलिक का मुंह बंद रखने के लिए की गई है।

कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से तनाव

इत्तेमाद (22 फरवरी) के अनुसार कर्नाटक के शिमोगा जिले में बजरंग दल के एक 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जब उसके शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा था तो नगर में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पथराव किया और कई वाहनों को आग लगा दी। कई दुकानों और मकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हर्ष पर रविवार की रात को भारती कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। घायलावस्था में उसे अस्पताल में दाखिल किया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। राज्य के मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया है कि हर्ष की हत्या में मुस्लिम गुंडों का हाथ है।

हाल ही में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने यह उत्तेजक भाषण दिया था कि एक सरकारी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर भगवा झंडा लहरा दिया गया है और सूरत से 50

लाख भगवा शॉल का ऑर्डर दिया गया है ताकि उन्हें छात्रों में बांटा जा सके। इससे मुस्लिम गुंडों को शह मिली। शिमोगा के जिलाधिकारी ने नगर में धारा 144 लगा दी है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बाहर से और पुलिस बल मंगवाई गई है। उन्होंने कहा कि शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इससे पूर्व हर्ष की शव यात्रा में सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें मंत्री ईश्वरप्पा और सांसद बी.वाई. राघवेन्द्र भी शामिल थे। प्रशासन ने नगर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करवा दिया है। शहर के अनेक भागों में हड़ताल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि हर्ष की हत्या विभिन्न गिरोहों के आपसी विवाद के कारण हुई है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में टुकड़े-टुकड़े गैंग मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर यह जहर फैला रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 फरवरी) के अनुसार घटना के दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में बारह और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुंबइ उर्दू न्यूज (22 फरवरी) के अनुसार एक उपासना स्थल को भी हिंसा का निशाना बनाया गया है। संघ परिवार से जुडे हुए लोगों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जुलूस निकालने का प्रयास किया था जिसे पुलिस ने विफल कर दिया।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों से वसूला जुर्माना वापस

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में जिन लोगों को वसूली का नोटिस जारी किया गया था वे वापस लिए जाएं और जो रकम वसूली गई है उसे प्रशासन संबंधित लोगों को वापस करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के सिलसिले में जिन 274 लोगों को क्षतिपूर्ति की वसूली के नोटिस दिए गए थे वे वापस ले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह वसूली की रकम की वापसी का आदेश जारी न करे क्योंकि यह राशि करोड़ों में है और इससे यह जाहिर होगा

कि प्रशासन की ओर से जो भी कार्रवाई की गई थी वह गैरकानूनी थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ न राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूरी रकम वापस करे जो उसने 2019 मं प्रदर्शनकारियों से वसूली थी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2020 को एक कानून बनाया था, जिसमें यह प्रावधान था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को जो भी क्षति पहुंचती है उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय परवेज आरिफ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए ऐसे नोटिस को रद्द करने की मांग की गइ थी। याचिका में कहा गया था कि इस तरह का नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को भी भेजा गया है जो कि छह वर्ष पहले ही मर चुका है और जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उसमें 90 वर्ष के कई वृद्ध शामिल हैं।

वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें इस कानून को गैरकानूनी करार देने का अनुरोध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में शीघ्र ही सुनवाई करेगी।

हमारा समाज (20 फरवरी) के अनुसार जमोयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि अब इस कानून को भी रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से साफ हो गया है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की तानाशाही नहीं चल सकती।

इससे पूर्व 17 फरवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करके नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान मुसलमानों के उत्पीड़न से संबंधित एक जांच रिपोट प्रेस के लिए जारी की गई थी, जिसमें एपीसीआर की ओर से आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर ने मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं का विस्तृत विवरण पेश किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस प्रदर्शन के सिलसिले में 350 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें 5000 लोगों के नाम शामिल किए गए थे। 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की कार्रवाई में 23 लोग मारे गए थे।

इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार जिन लोगों से प्रशासन ने रकम वसूल की थी उन्होंने वसूली नोटिस रद्द किए जाने का स्वागत किया है और इसे तानाशाही की हार और इंसाफ की जीत की संज्ञा दी है।

रोजनामा सहारा (20 फरवरी) के संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया गया है और कहा गया है कि इससे यह साफ हो गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे में हमेशा कानून का राज चलता है। किसी भी सरकार की मनमानी नहीं। संपादकीय में कहा गया है कि इस कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया ह। इसलिए इसके खिलाफ मुसलमानों का विरोध उचित था।

इत्तेमाद (21 फरवरी) ने भी अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने पहले ही राज्य सरकार की इस कार्रवाई को जल्दबाजी करार दिया था। समाचारपत्र का कहना है कि योगी सरकार की इस कार्रवाई का लक्ष्य अल्पसंख्यकों को भयभीत करना था। उसके इरादों पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाम लगा दी है।

कोलकाता में एक मुस्लिम छात्र की संदिग्ध मौत

इंकलाब (20 फरवरी) के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के एक नेता एवं आलिया विश्वविद्यालय के एक 28 वर्षीय छात्र अनीश खान के घर में पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने घुसकर उस तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे पश्चिम बंगाल में सनसनी फैल गई है।

समाचारपत्र के अनुसार अनीश खान हाल ही में अब्बास सिद्दीकी द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टी आईएसएफ में शामिल हुआ था। उसके परिवारजनों के अनुसार पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग घर की तलाशी के नाम पर जबरन उसके मकान में दाखिल हुए और उन्होंने अनीश खान को पकड़कर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। दूसरी ओर आमता थाने की पुलिस ने यह दावा किया है कि हमारी कोई टीम अनीश के घर नहीं गई थी। सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस की वर्दी में उसके घर कौन गया? और उसकी हत्या किसने की? अनीश के परिवारजनों का आरोप है कि जुमा की रात को पुलिस की वर्दी में चार लोग उनके घर में आए थे। उनमें से खाकी वर्दी पहने एक व्यक्ति ने अपनी पहचान आमता पुलिस थाने के अधिकारी के रूप में करवाई। पहले पुलिस ने अनीश के पिता को हिरासत में ले लिया। बाकी तीन अनीश को लेकर तीसरी मंजिल पर चले गए। इसके बाद उन्होंने अनीश के नीचे गिरने की आवाज सुनी।

रोजनामा सहारा (21 फरवरी) के अनुसार सीपीआईएम की छात्र ईकाई एसएफआई ने अनीश खान की संदिग्ध मौत के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस घटना के बाद राज्य भर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस, सीपीएम और भाजपा के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि अनीश की हत्या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर की गई है। आलिया विश्वविद्यालय के 500 से अधिक छात्रों ने कैंडल मार्च किया आर उन्होंने मांग की कि खान के हत्यारों को पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस आयुक्त ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। मगर अनीश के पिता सलेम खान का कहना है कि इस हत्या में क्योंकि सीधा पुलिस का हाथ है इसलिए उन्हें इस

जांच से कोई इंसाफ मिलने की संभावना नजर नहीं आती। उन्होंने इस घटना की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है।

इंकलाब (22 फरवरी) के अनुसार दिल्ली में बंग भवन पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने अनीश खान की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व संगठन के राज्य अध्यक्ष सुमीत कटारिया कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया है।

रोजनामा सहारा (25 फरवरी) के अनुसार अनीश खान की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि हावड़ा जिला न्यायाधीश की निगरानी में अनीश खान के शव को कब्र से निकालकर उसका पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाए। उच्च न्यायालय ने तीन दिनों में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। राज्य के महाधिवक्ता ने न्यायालय में बताया कि अनुभवी पुलिस अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो कि इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अनीश खान के मोबाइल को बरामद करके जांच के लिए हैदराबाद भेजा जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस केस से संबंधित गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और दो अन्य लोगों जिनमें एक होमगार्ड और एक पुलिस का कर्मचारी है को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने हत्या के समय अनीश खान के घर जाने को बात को स्वीकार किया है। अनीश खान के पिता सलेम खान का कहना है कि पुलिस इस घटना पर लीपापोती कर रही है। इसलिए उन्हें राज्य की पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। अनीश की हत्या को हालांकि एक सप्ताह गुजर चुका है मगर उसके विरोध में उग्र प्रदर्शन का सिलसिला राज्य भर के कॉलेजों में जारी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हर हालत में इंसाफ किया जाएगा। मगर किसी को भी इस घटना की आड़ लेकर राज्य में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फुरफुरा दरगाह के कासिम सिद्दीकी ने कहा है कि अगर आमता के थाना प्रमुख को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सचिवालय का घेराव किया जाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना का उल्लेख करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाएगी। क्योंकि इस घटना के कारण राज्य के नौजवानों में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है।

गैर भाजपा सरकारों का संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास

मुंबई उर्दू न्यूज (22 फरवरी) के अनुसार केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में गैर भाजपा सरकारों के मंत्रियों को जब से अपना निशाना बनाना शुरू किया है उसकी प्रतिक्रिय ा स्वरूप गैर भाजपा शासित राज्यों के सत्तारूढ दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार से तृणमूल कांग्रस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करके उनसे यह आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार की धांधली का डटकर मुकाबला करें। केंद्र सरकार झूठे आरोपों में विपक्षी दलों के मंत्रियों को फंसा रही है। ऐसे आरोपी मंत्रियों से त्यागपत्र लेने की बजाय इस अन्याय का एकजुट होकर मुकाबला किया जाए।

इंकलाब (21 फरवरी) के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अचानक मुंबई पहुंचे और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार से मुलाकात की। इस बैठक को भाजपा का मुकाबला करने के लिए गैर भाजपा मोर्चा बनाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार की धांधली का सामना करने के लिए सभी गैर भाजपा दलों का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात इस सिलसिले की शुरुआत है। हम शीघ्र ही ममता बनर्जी से भी इस संदर्भ में मुलाकात करेंगे ताकि इस संयुक्त मोर्चे को ठोस रूप दिया जा सके।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने गैर भाजपा दलों के संयुक्त मोर्चा को वर्तमान में महत्त्वपूर्ण जरूरत बताया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस बात की घोषणा की है कि गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन शीघ्र ही दिल्ली में बुलाया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार की तानाशाही का ठोस ढंग से मुकाबला किया जा सके।

इंकलाब (22 फरवरी) के अनुसार के चंद्रशेखर राव की मुंबई में गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ कोई भी संयुक्त मोर्चा कांग्रेस के बगैर सफल नहीं हो सकता। अगर केंद्र सरकार को हराना है तो यह कांग्रेस के अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी नहीं कर सकती। इस पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमन यह कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनाया जाएगा। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि गैर भाजपा दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। इन प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसे प्रयासों से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में ऐसा ही एक प्रयास किया गया था जो विफल रहा।

सियासत (16 फरवरी) ने एक संपादकीय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाए

जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि भाजपा का खतरा जैसा बढ़ता जा रहा है और अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें यदि भाजपा विजय प्राप्त करती है तो संघ परिवार के तेवर और तीखे और सख्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार इस बात का निरंतर प्रयास कर रही है कि वह गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप करे और सभी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित रखे। इस लक्ष्य से वह राज्यपालों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि हर दौर में राज्यपाल केंद्र सरकार की कठपुतली के तौर पर ही काम करते रहे हैं। केरल, तमिनलाडु, आंध प्रदेश और तेलंगाना में गैर भाजपा सरकारें संघ परिवार के लक्ष्य में बाधक बने हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से मत मांगते हुए इस बात पर जोर दिया था कि पश्चिम बंगाल, केरल और कश्मीर जैसे हालात को रोकने के लिए व भाजपा को ताकतवर बनाएं।

इत्तेमाद (16 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बहुत पहले ही फेडरल फ्रंट बनाने की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से लंबी बातचीत की है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि गैर भाजपा दलों का संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयास तेजी से हो रहे हैं। अगर गैरभाजपा दलों को देश की राजनीति में जिंदा रहना है तो उन्हें एकजुट होना ही होगा। क्योंकि भाजपा धीरे-धीरे अपने सहयोगी दलों को भी हड़पने का प्रयास कर रही है। उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाशिए पर ला दिया है। भाजपा के इन इरादों को भांपते हुए शिवसेना उससे दूर हो गई है। इसलिए यह जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव से पूर्व इस तरह का एक संयुक्त मोर्चा वजूद में आए।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 फरवरी) ने अपने संपादकीय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा गैरभाजपा सरकारों को एकजुट करने क प्रयासों का स्वागत किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उनका एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया था जो विफल रहा। इसमें संदेह नहीं कि ममता बनर्जी एक घाघ राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह अपने मुकाबले में किसी को भी नहीं समझती। उनका विचार था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी शानदार विजय को देखते हुए सभी क्षेत्रीय दल उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके बनाए जाने वाले मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। मगर यह योजना विफल हो गई। इस विफलता में उनके राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर का योगदान भी बताया जाता है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को क्षति पहुंचाने वाले कई विवादित बयान दिए। कहा तो यह जाता है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे को भी आपस में दूर करने में प्रशांत किशोर का ही हाथ है। चंद्रशेखर राव के मोदी से मतभेद तेजी से बढ़ रहे हैं। इस महीने के प्रारंभ में जब मोदी हैदराबाद गए थे तो उनके स्वागत के लिए राव हवाई अड्डे पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी और 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए गैर भाजपा दलों को एकजुट करने का बीड़ा उठा लिया। मोदी सरकार की तानाशाही रवैये को देखते हुए यह जरूरी है कि विपक्षी दल एकजुट हों। मगर इस संदर्भ में कांग्रेस को नजरअंदाज किया जाना भी घातक सिद्ध हो सकता है। आज भले ही कांग्रेस कमजोर हो मगर उसका मकड़जाल पूरे देश में फैला हुआ है और उसे अलग रखकर किसी भी तरह का मोर्चा नहीं बनाया जा सकता।

अफगानिस्तान में सेना को मजबूत बनाने का फैसला

कौमी तंजीम (17 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मह याकूब ने एक लाख दस हजार सैनिकों को नई अफगान सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। मुल्ला मोहम्मह याकूब ने अपने पहले टेलीविजन साक्षात्कार में अफगान रेडियो को बताया कि नई सेना के लिए अब तक 80 हजार लोगों का पंजीकरण हो चुका है और दस हजार सैनिक पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े बेटे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने जिन अफगान सैनिकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा था वे भी इस नई सेना में शामिल हो सकते हैं। मुल्ला ने इस बात का खंडन किया कि तालिबान पूर्व अफगान सैनिकों और पुलिस कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अफगान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पिछले दशकों में अफगानिस्तान के सैनिकों के प्रशिक्षण और उन्हें आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश करने के लिए 80 अरब डॉलर खर्च किए थे। जब अमेरिकियों ने अफगानिस्तान से बोरिया-बिस्तर बांधा तो ये सारे अस्त्र-शस्त्र वे वहीं छोड़ आए। अब इन अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों को तालिबान विश्व बाजार में बेच रहे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका की अफगान से संबंधित नीति में एक नया मोड़ आया है।

इंकलाब (27 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी व्यापारिक संस्थान अफगानिस्तान के सभी संस्थाओं के साथ व्यापारिक कारोबार कर सकते हैं। मगर अब भी तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और उससे संबंधित संगठनों के साथ वित्तीय संबंधों पर अमेरिकी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सात अरब डॉलर की निधि पर नियंत्रण लगा रखा है।

पाकिस्तान में पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर रोक

हमारा समाज (24 फरवरी) के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से संबंधित अध्यादेश के तहत पूरे पाकिस्तान में पत्रकारों की गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर इस कानून की धारा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो उसके लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक जिम्मेवार होंगे। न्यायालय ने यह आदेश पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की याचिका पर जारी किया है। इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने की। पत्रकारों के संगठन के वकील आदिल अजीज काजी ने तर्क देते हुए कहा कि पाकिस्तान संसद के उच्च सदन (सीनट) का अधिवेशन 17 फरवरी को समाप्त हुआ। अगले दिन 18 फरवरी को इसकी अगली बैठक होने वाली थी। मगर अचानक इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद यह अध्यादेश जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यह संशोधन कानून की किस धारा में किया गया है? इस पर आदिल अजीज ने कहा कि इस अध्यादेश में संशोधन के अलावा एक नई धारा भी शामिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने फिर पूछा आखिर इसमें संशोधन क्या किया गया है? इस पर वकील ने उन्हें बताया कि पहले इस अपराध की सजा तीन वर्ष थी जिसे बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। न्यायाधीश न कहा कि पत्रकारों को नेताओं की आलोचना का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन पर मानहानि का कानून लागू नहीं होना चाहिए। नेताओं को भी उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्योंकि प्रेस की आलोचना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।

अदालत ने कहा कि भविष्य में अगर इस धारा के तहत किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी की गई तो उसके लिए गिरफ्तार करने वाले जिम्मेवार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि सरकार का इरादा इस धारा के तहत किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने का नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने अफ्रीकी देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिम्बाब्वे और यूगांडा ने भी कानूनन इस बात की व्यवस्था की है कि अगर कोई पत्रकार किसी नेता के खिलाफ कोई खबर प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

दूसरी ओर पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सैयद अमीनुल हक ने प्रधानमंत्री इमरान खान को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कानून में संशोधन करने से पूर्व उनक मंत्रालय को विश्वास में नहीं लिया गया। संशोधन में बिना जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज की व्याख्या न किए जाने के कारण देश भर में बेचैनी बढ़ रही है। अगर पत्रकार संगठनों और मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़े हुए संगठनों की राय लेने के बाद कोई संशोधन किया जाता तो अच्छा होता। इस

संशोधन के कारण पत्रकार और मीडिया सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

रोचक बात यह है कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी इस अध्यादेश से संतुष्ट नजर नहीं आते और उन्होंने इस्लामाबाद में कहा है कि अगर इस अध्यादेश को ज्यों का त्यों लागू किया जाता है ता यह तानाशाही कानून होगा। इसलिए इसमें जरूरी संशोधन किया जा रहा है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत भी दिए हैं। मगर इसके साथ ही उन्होंने यह सफाई भी दी है कि इस अध्यादेश के तहत सिर्फ बहुत ही गंभीर मामलों में ही पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई को जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात कर रहे हैं और वे उन्हें इस अध्यादेश से संबंधित विभिन्न पेचोदगियों के बारे में अवगत कराएंगे।

ब्रिटेन के राजकुमार नए विवाद में

रोजनामा सहारा (18 फरवरी) के अनुसार यौन शोषण के मामले में फंस ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू एक नए विवाद में उलझ गए हैं। इस केस को वापस लेने के लिए उन्होंने संबंधित महिला से अदालत के बाहर समझौता करने का फैसला किया है। मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार राजकुमार एंड्रयू ने वर्जीनिया जिउफ्रे के साथ अदालत के बाहर समझौता किया है। वर्जीनिया ने उन पर 17 वर्ष की उम्र में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस केस को वापस लेने के लिए एंड्रयू 20 लाख पाउंड वर्जीनिया से संबंधित समाज कल्याण के संगठन को देंगे। बताया जाता है कि ब्रिटेन की महारानी ने अपने दूसरे बेटे पर काफी दबाव डाला था ताकि इसके कारण राजपरिवार की बदनामी न हो। मगर राजकुमार का यह कहना था कि वे बेगुनाह हैं।

गौरतलब है कि इस यौन शोषण के कांड में लिप्त होने के बाद ब्रिटिश सम्राज्ञी मल्लिका एलिजबेथ द्वितीय ने प्रिंस एंड्रयू को सभी शाही पदवियों और हैसियत से वंचित कर दिया था। ब्रिटिश राजमहल के नजदीकी सूत्रों का दावा है कि अगर पीड़िता और राजकुमार के बीच किसी भी तरह का समझौता होता है तो भी उनकी पुरानी शाही पदवियों और अन्य सुविधाओं को बहाल नहीं किया जाएगा।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अश्वेत न्यायाधीश

इंकलाब (27 फरवरी) के अनुसार अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत महिला को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। अपने चुनावी भाषणों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की थी कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का विस्तार किया जाएगा। 200 वर्ष से अभी तक सिर्फ श्वेत न्यायाधीश ही अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते आ रहे हैं। केतानजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी इतिहास में पहली ऐसी महिला हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मनोनीत किया गया है। उन्हें 83 वर्षीय जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के स्थान पर मनोनीत किया गया है।

अफगानिस्तान में आठ पोलियो कार्यकर्ताओं की हत्या

इंकलाब (26 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान में पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले कार्यकर्ताओं की शामत आई हुई है। गत शुक्रवार को तालिबान ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले आठ कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी। डॉन में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना पर हैरानी प्रकट की है और इस बात पर जोर दिया है कि आक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान लगभग सभी इस्लामिक देशों में पोलियो ड्रॉप पिलाना इस्लाम के विरूद्ध माना जाता है। इसलिए पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले कार्यकर्ताओं को वर्षों से हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। उलेमाओं का कहना है कि वैक्सीन का इस्तमाल करना इस्लामिक शरा के खिलाफ है। अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि हमारी यह स्पष्ट नीति है कि पांच वर्ष की आयु वाले सभी अफगान बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाए। जब पोलियो ड्रॉप कर्मियों को भीड़ ने मौत के घाट उतारा तो वे या तो घरों में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला रहे थे या उन्हें पिलाने के लिए गांव में जा रहे थे। विश्व भर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश बचे हैं जहां पर अभी तक पोलियो का उन्मूलन नहीं किया जा सका है।

अरब देशों के शासक परिवारों के खरबों डॉलर स्विस बैंक में

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार स्विस बैंकों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अरब शासकों ने स्विस बैंकों में खरबों डॉलर विभिन्न गुप्त खातों में जमा करवाए हुए हैं। यह धनराशि 2011 में अरब जगत में शुरू होने वाली 'बहार-ए-अरब' से पूर्व जमा करवाई गई थी। इसके बाद अरब जगत में अनेक शासकों को सत्ता से अपने हाथ धोने पड़े थे। इन खातों का सुराग हाल ही में ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की टीम ने किया है। यह जांच पेपर्स स्कैंडल के लीक होने के बाद की गई थी। इस जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि किस तरह से मिस्र, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे अनेक देशों के शासक परिवारों ने यह विपुल धनराशि जमा करवाई थी।

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के बेटों के छह स्विस खाते हैं, जिनमें 27 करोड़ 70 लाख डॉलर जमा हैं। उनके ससुराल और अन्य कारोबारी साथियों के एक व्यापक नटवर्क के लोगों का भी अरबों स्विस फ्रैंक इन गुप्त खातों में जमा हैं। जब इन गुप्त खातों की खबर लीक हुई थी तो लाखों मिस्री नागरिक सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने यह मांग की थी कि विदेशी बैंकों में जमा इस काले धन को वापस स्वदेश लाया जाए। इन उग्र पदर्शनों के कारण हुस्नी मुबारक को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इन खातों के अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक खाते सीरिया, यमन, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और जॉर्डन के शासक परिवारों के हैं।

इस जांच रिपोर्ट के अनुसार इन शासक परिवारों के खातों में कम-से-कम दस खरब स्विस फ्रैंक जमा हैं। इस धनराशि को अरब देशों के शासकों ने अपने बुरे दिनों को सामने रखकर इन बैंकों में जमा कराया था। ईरान के पूर्व शाह रजा शाह पहलवी के परिवार के भी एक दर्जन गुप्त खातों का पता चला है। ईरान की वर्तमान सरकार ने स्विस बैंकों पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह इन गुप्त खातों में जमा धनराशि को उनके हवाले कर दें। मगर स्विस बैंकों ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। गत 200 वर्षों से विश्व भर के शासक परिवार अपने कालेधन को इन स्विस बैंकों में जमा करवाते आ रहे हैं। इन बैंकों के गुप्त खातों में कितनी धनराशि जमा है इसका अनुमान लगाना

कठिन है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के बैंक कानून के अनुसार किसी भी बैंक को उसके खातेदारों और उनके खातों में जमा धनराशि की सूचना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम न्यायाधीश

इंकलाब (23 फरवरी) के अनुसार इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक मुस्लिम न्यायाधीश खालिद काबुब को नियुक्त किया गया है। इजरायल के इतिहास में पहली बार किसी मुसलमान को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर मनोनीत किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की 20 प्रतिशत जनसंख्या अरब मुसलमान हैं। इससे पूर्व इजरायल के न्यायालय में सिर्फ यहूदियों और इसाईयों को ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। 63 वर्षीय खालिद काबुब इससे पूर्व तेल अवीव की जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। वे उन छह न्यायाधीशों में शामिल हैं जिन्हें इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मंत्रियों, विधि विशेषज्ञों और वकीलों के एक पैनल ने चुना है। खालिद काबुब ज़ाफा में पैदा हुए थे और उन्हांने तेल अवीव विश्वविद्यालय में इतिहास और इस्लाम की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की थी।

इससे पूर्व अस्थायी रूप में इजरायली सर्वोच्च न्यायालय में एक मुसलमान न्यायाधीश अब्दुल रहमान जुआबी को भी नियुक्त किया गया था, जिनकी कार्यावधि सिर्फ 9 महीने की थी। खास बात यह है कि इजरायल में अनेक इस्लामिक शरई अदालतें भी मौजूद हैं। इन अदालतों का गठन 2017 में किया गया था। इस अदालत के तीन न्यायाधीशों में एक मुस्लिम महिला भी शामिल है, जिनका नाम हाना खतीब है। यह अदालत इजरायल के मुसलमानों के शरई कानूनों जैसे तलाक, निकाह और गुजारा भत्ता से संबंधित केसों की सुनवाई करती है।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चीन से युद्धपोत खरीदने का फैसला

रोजनामा सहारा (25 फरवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने हूती विद्रोहियों के हमलों से पैदा स्थिति का सामना करने के लिए चीन से एक दर्जन एल-15 युद्ध विमान खरीदने का फैसला किया है। संयुक्त अरब अमीरात इन दिनों अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है और इसी लक्ष्य की पूर्ति क लिए विश्व भर से सैनिक अस्त्र-शस्त्र खरीद रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार इन विमानों के खरीदने के बाद उनका देश चीन से 36 जेट युद्ध विमान भी खरीदगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के तीन दर्जन विमान चालकों को इन विमानों क संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने क लिए चीन भजा गया है। यह पहला अवसर है जब किसी अरब देश ने चीन से अस्त्र-शस्त्र खरीदे हैं। अभी तक संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना अमेरिका के बने एफ-16 और फ्रांसीसी विमान मिराज का इस्तेमाल करती आ रही है। गत वर्ष उसने फ्रांस से राफेल विमान खरीदने के लिए भी एक समझौता किया था।

ईरान और कतर के बीच समझौता

रोजनामा सहारा (22 फरवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल–थानी के बीच एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते ईरानी राष्ट्रपति के दोहा में आयोजित जीईसीएफ देशों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व किए गए हैं। बताया जाता है कि इन समझौतों में कतर ने ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भी सहयोग देने का फैसला किया है। इस अधिवेशन में यह भी कहा गया है कि यदि यूक्रेन के घटनाक्रम के कारण इन देशों से तेल की सप्लाई में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में अरब देश यूरोप को तेल की सप्लाई की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। कतर और ईरान न यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई करने की भी इच्छा व्यक्त की है।

तुर्की द्वारा अफ्रीकी देशों से संबंध स्थापित करने पर जोर

इत्तेमाद (23 फरवरी) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। हाल ही में उन्होंने मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के चार देशों का दौरा शुरू किया है। सेनेगल की राजधानी डाकार में वहां के राष्ट्रपति मैकी सॉल के साथ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तुर्की अफ्रीकी देशों के साथ संबंध स्थापित करने में विशेष रुचि रखता है। हम यह चाहते हैं कि तुर्की की विभिन्न

कंपनियां इन देशों की परियोजनाओं के ठेके लेकर उनके नवनिर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इससे अफ्रीकी देशों मं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तुर्की को भी लाभ होगा। इस अवसर पर इन दोनों देशों के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

हमारा समाज (19 फरवरी) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पत्रकारों को बताया कि उनका लक्ष्य सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही सऊदी अरब जा रहा हूं। गौरतलब है कि इन दिनों तुर्की आर्थिक बदहाली का शिकार है। तुर्की की करेंसी लीरा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिरता जा रहा है, जिसके कारण महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भारी पंजी निवेश करेंगे ताकि तुर्की की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके।

कौमी तंजीम (17 फरवरी) के अनुसार तुर्की संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के साथ अपने संबंधों को सुधारने में विशेष ध्यान दे रहा है। हालांकि भूतकाल में मिस्र में प्रतिबंधित अतिवादी इस्लामिक संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) का समर्थन करता आ रहा है। इस्तांबुल के कादिर हास विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभागाध्यक्ष सिनेम अकगुल ने एक लेख में कहा है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि हम अरब देशों और ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारें। हाल ही में इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद से मिली जानकारी के अनुसार तुर्की गुप्तचर विभाग ने देश में सक्रिय ईरानी गुप्तचरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया था। इससे चिढ़कर ईरान ने दो सप्ताह तक तुर्की के उद्योगों के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी थी। इसलिए तुर्की ने अब रूस और अजरबैजान से भी गैस खरीदने के समझौते किए हैं ताकि ईरान भविष्य में उसके लिए कोई परेशानी पैदा न कर सके। ईरान और रूस सीरिया की बशर अल-असद सरकार के समर्थक हैं जबकि तुर्की की ओर से वहां पर सक्रिय विद्रोहियों का समर्थन किया जाता है, जिनके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं।

अल्जीरिया के मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा

इत्तेमाद (19 फरवरी) के अनुसार अल्जीरिया क एक न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व उद्योग मंत्री जमीला तमाजर्ट को पांच वर्ष की कैद और तीन लाख दीनार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह महिला अप्रैल 2019 में खाद्यान्न और उद्योग मंत्री थीं। उन पर रिश्वत लेकर लोगों को कोटे देने, सरकारी खजाने में घपले और गबन के आरोप लगाए गए हैं। अल्जीरिया के न्यायालय ने उनकी सारी संपत्ति को भी जब्त करने का निर्देश दिया है।

इमामों को हिजाब के खिलाफ बोलने का निर्देश

सालार (22 फरवरी) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के वक्फ बोर्ड के सचिव कैप्टन मनीवन्नन द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे जुमा की नमाज के अवसर पर विभिन्न मस्जिदों में दिए जाने वाले खुतबों में मुसलमानों को यह बात बताएं कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। सचिव ने यह भी धमकी दी है कि अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्देश नहीं माना तो उन्हें दिए जाने वाला मासिक भत्ता बंद कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि इस इंकार के बाद सचिव ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी स्कूलों में छात्रों द्वारा हिजाब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दिल्ली के इमामों का बकाया वेतन

रोजनामा सहारा (25 फरवरी) के अनुसार दिल्ली की विभिन्न मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों ने अपने मासिक भत्ते का 11 महीने से भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर धरना दिया। जब उनके धरने की खबर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को मिली तो वे अपने कार्यालय में नहीं आए और रास्ते से ही वापस चले गए। इमामों के एक प्रवक्ता ने बताया कि 11 महीने से भत्ता नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बेहद कठिनाई हो रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा हर बार उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके भत्ते की बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा मगर इस आश्वासन को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया। दिल्ली देश के उन पांच राज्यों में शामिल है जहां की सरकार द्वारा मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को मासिक भत्ता दिया जाता है।

महिलाओं के लिए मदीना सबसे सुरक्षित नगर

सियासत (18 फरवरी) के अनुसार अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए मदीना सबसे सुरक्षित नगर है। यह शोध एक ब्रिटिश संस्थान इंस्योर माई ट्रीप द्वारा किया गया है। इस संस्थान ने दावा किया है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित नगर पेरिस है। इसके बाद जोहान्सबर्ग, कुआलालंपुर और दिल्ली का नंबर आता है जहां पर अकेले सफर करने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इन नगरों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जहां तक महिलाओं के लिए विश्व के अन्य सुरिक्षत नगरों का संबंध है उनमें चिआंग माई (थाइलैंड), दुबई और जापान का क्योटो नगर शामिल है। जबकि पांचवे नंबर पर चीन का मकाउ नगर है।

वेल्लूर में एक मस्जिद के निर्माण का विरोध

सियासत (25 फरवरी) के अनुसार तमिलनाडु के वेल्लूर नगर में एक मस्जिद क निर्माण को लेकर भारी तनाव पैदा हो गया है। हिंदू मुन्नानी संगठन के कार्यकर्ता एक मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक घर को रातों-रात मस्जिद में बदल दिया गया है। इस मस्जिद के 100 मीटर के क्षेत्रफल के भीतर ही तीन मंदिर मौजूद हैं। इसलिए सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। वेल्लूर के पुलिस अधीक्षक राजेश कन्नन का कहना है कि पहले इस घर को निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब उसे एक मस्जिद में बदल दिया गया है। मुसलमानों का दावा है कि इस मस्जिद में 1896 से ही नमाज अदा की जा रही है आर सांप्रदायिक हिंदू संगठन जानबूझकर इसमें रूकावट डाल रहे हैं।

प्राचीन मूर्तियों का तस्कर गिरफ्तार

सियासत (18 फरवरी) के अनुसार आसिफाबाद पुलिस ने यह दावा किया है कि सिरपुर नगर के बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर से एक दर्जन से अधिक प्राचीन मूर्तियों को चुराने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। ये मूर्तियां 800-1000 वर्ष पुरानी हैं। यह गिरोह इन ऐतिहासिक मूर्तियों को विदेशों में बेचता है। पकड़े गए लोगों क नाम शेख महबूब और गड्डम नामक व्यक्ति बताया जाता है। इन लोगों को तेलंगाना-महाराष्ट्र की सीमा पर गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से मूर्तियों के अतिरिक्त सोने के जेवर भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सेतिया नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो इन मूर्तियों की विदेशों में तस्करी करता है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

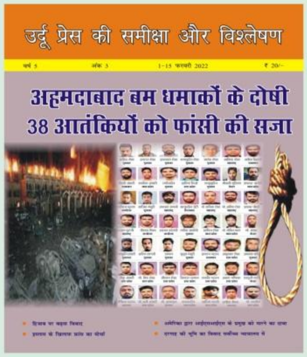

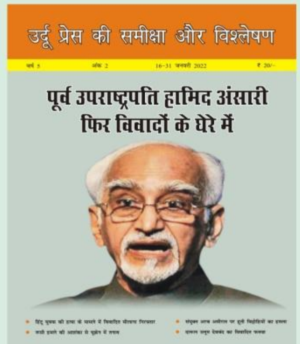

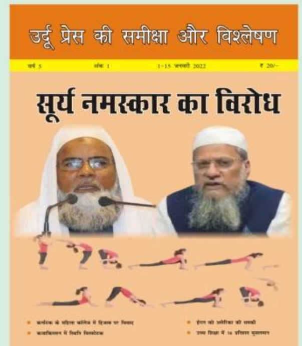

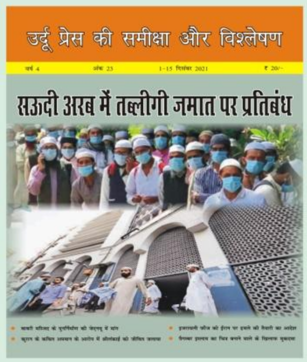

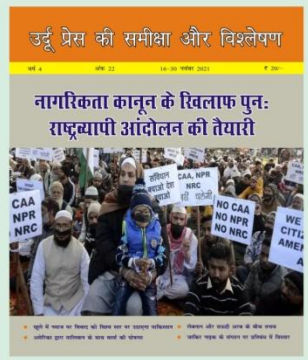

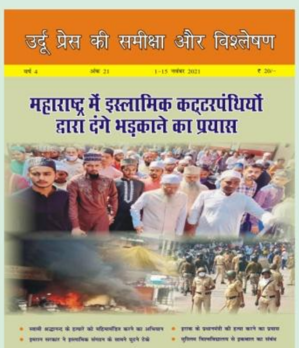

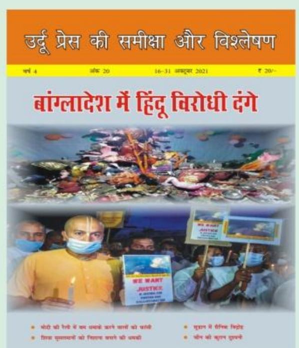

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in